## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-21/2020-Estt. (RCT)स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 Ansari Nagar, New Delhi-29 दिनांक /Dated 15 APR 2023

## कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,नई दिल्ली में मेडिकल रिर्कोड ऑफिसर के पद पर पदोन्नति। Subect:- Promotion to the post of Medical Record Officer at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 06.03.2023 को मेडिकल रिर्कोड ऑफिसर के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत श्री संदीप एम. सिंह, जूनियर मेडिकल रिर्कोड ऑफिसर को एन.सी.आई., झज्जर में 07 दिनों के अंदर पदभार ग्रहण करने के तिथि से मेडिकल रिर्कोड ऑफिसर वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -6 (पूर्व संशोधित पी. बी.- 2 9300-34800+ ग्रेड पे. रू. 4200/-)पर पदोन्नत किया जाता है। यदि र्निधारित समय के अंदर एन. सी. आई., झज्जर में पदभार ग्रहण नहीं करते तो माना जाएगा कि वह पदोन्नति को अस्वीकार करते है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Medical Record Officer held on 06.03.2023 and its acceptance by the Competent Authority, Sh. Sandeep M. Singh, Jr. Medical Record Officer is promoted to the post of Medical Record Officer in Level-6 in the pay matrix (pre-revised PB-2 9300-34800+4200 Grade Pay) from the date he assumes the charge of the post of Medical Record Officer at NCI, Jhajjar within seven days from the of issue of this Office Order failing which it will be presumed that he has denied his promotion.

यदि, वह एन. सी. आई., झज्जर में मेडिकल रिर्कोड ऑफिसर के पद पर पदभार ग्रहण करने में मना करते है /असफल होते है तो मेडिकल रिर्कोड ऑफिसर के पद पर उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी.ओ.पी.टी. के निदेशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार पदोन्नति के लिए मना करता है तो ऐसे मामलों में अगले एक वर्ष तक निर्धारित अवधि या अगली रिक्तियां आनें तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

In case, if he refuse to join at NCI, Jhajjar on promotion against the post created for NCI, Jhajjar within 07 days from the date of issue of this office order, such act will be considered as refusal of promotion and promotion order to be treated as cancelled/withdrawn. Accordingly as per DOP&T instruction on this subject he will be debarred from promotion for a period of one year or till such time next vacancy arises, whichever is later.

हालाँकि, उनकी वरिष्ठता मेडिकल रिर्कोड ऑफिसर के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात 06.03.2023 से प्रभावी होगी।

However, his seniority in the post of Medical Record Officer will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 06.03.2023.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई.,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

He will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of his status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Balladhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future.

जारी/Condt.. ....

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हें आंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वेतन पे. मैट्रिक्स लेवल-6 (पूर्व संशोधित पी.बी.-2- 9300-34800+4200 ग्रेड पे.) प्रदान नहीं किया जायेगा।

He is advised to exercise his option for fixation of his pay under FR-22 (1) either from the date of his promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided he has not been granted Level-6 in the Pay Matrix (pre-revised PB-2 9300-34800+4200 Grade pay) under ACP/MACP **Scheme**.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी। Other terms and condition of his service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

(कमल भट्ट/ KAMAL BHATT)
प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

श्री संदीप एम. सिंह, जूनियर मेडिकल रिर्कोड ऑफिसर,अस्पताल Sh. Sandeep M. Singh, Jr. MRO, Hospital द्वाराः- प्रशासनिक अधिकारी,(अस्प.) / Admn. Officer, (Hospital)

## प्रतिलिपिः

- 1 चिकित्सा अधीक्षक/Medical Supdt.
- 2 मुख्य विभागाध्यक्ष, एन.सी.आई.झज्जर,दिल्ली/HOD, NCI, Jhajjar, Delhi
- 3.. प्रशासनिक अधिकारी, अस्प. / Admn. Officer, Hospital./NCI Jhajjar
- 4. स्थापना अनुभाग, अस्प./Establishment Section, Hospital/NCI Jhajjar
- 5. लेखा विभाग,- II & III /Accounts Section, II& III/NCI Jhajjar
- 6. जी.पी.एफ./संपदा विभाग/सामान्य विभाग/ ए.सी.आर सेल GPF Section/General Section/Estate Section/ACR Cell
- 7. एस.सी.विभाग/एस.टी विभाग/सतर्कता विभाग/लीगल सेल SC/ST Cell/Vigilance Cell
- 8. डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबधित सहायक Dealing Assistant, Recruitment Cell
- 9 प्रो. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें।
  Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website.